बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

आदेश

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के धारा 35(2) एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2012 का नियम 101(4) के तहत जिला सलाहकार परिषद् का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:–

(क) जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख) असैनिक शल्य चिकित्सक	–	सदस्य
(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ) जिला बाल संरक्षण इकाई का प्रधान (जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी)	–	संयोजक
(ड.) गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि (अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति एवं वरीय सदस्य, किशोर न्याय परिषद्)	–	सदस्य

2. जिला सलाहकार परिषद् के निम्नलिखित कार्य होंगे:–

(i) जिला सलाहकार परिषद् वर्ष में कम से कम दो बैठके आयोजित करेंगी।

(ii) जिला सलाहकार परिषद् अधिनियम की धारा 35 के अधीन जिला निरीक्षण समिति के रूप में भी कार्य करेंगी।

(iii) जिला सलाहकार परिषद्, अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में विभिन्न संस्थागत या गैर संस्थागत सेवाओं का निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17/1/14

(अमरनाथ मिश्र)
अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–10 / आई0सी0पी0एस0–05 / 13– 100 पटना, दिनांकः– 17/01/2014

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष एवं सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/1/14

(अमरनाथ मिश्र)
अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–10 / आई0सी0पी0एस0–05 / 13– 100 पटना, दिनांकः– 17/01/2014

प्रतिलिपिः–1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त / सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा–सह–जिला बाल संरक्षण इकाई / सभी अधीक्षक / अधीक्षिका, विशेष गृह / पर्यवेक्षण गृह / बालिका गृह, निशांत / उत्तर रक्षा गृह / बाल गृह / समाज कल्याण निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी प्रधान सदस्य, किशोर न्याय परिषद / अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

17/1/14

(अमरनाथ मिश्र)
अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग।